(6)

प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
सिविल लाइन्स सहारनपुर,
प्रयोग शाला, गाजियाबाद ।

विद्यालय संख्या अनुदान

लखनऊ दिनांक: 17 मई 2002

विषय:- आदर्श वरिष्ठ बेसिक बालिका विद्यालय की गाजियाबाद गाजियाबाद के संचालन हेतु अनन्तिम प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श वरिष्ठ बेसिक बालिका विद्यालय की गाजियाबाद गाजियाबाद के संचालन हेतु अनन्तिम प्रमाण पत्र दिये जाने के संबंध में राज्य सरकार की निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन अनन्तिम सहमति है :-

1(i) विद्यालय की प्रबंधकीय समिति का समय-समय पर संशोधन कराया जायेगा ।

1(ii) विद्यालय की प्रबंध समिति में किसी विवाद द्वारा वांछित परिवर्तन होगा ।

1(iii) विद्यालय में कम से कम 10 प्रशिक्षित स्नातक अनुमोदित वांछित/अनुमोदित जनपद के बच्चों के लिए सुविधा रहेगी और उनके उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न स्तरों के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

1(iv) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि भविष्य में माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा केन्द्रित किसी परिषद् से सम्बन्ध प्राप्त है तथा विद्यालय के संचालन हेतु माध्यमिक शिक्षा परिषद् गाजियाबाद से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा को इस केन्द्रीय परिषदों से संबंधित प्राप्त होने की तिथि से उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त सम्बन्ध तथा राज्य सरकार से प्रदत्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे ।

Principal
Public School

(7)

-2-

1(v) संस्था शासन एवं निदेशालय कर्मचारियों को राजकीय सरकार प्राप्त किसी सम्बन्धों के कर्मचारियों का अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से जो अनुमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

1(vi) कर्मचारियों की सेवा शर्तें अनुसारी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।

1(vii) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी ।

1(viii) विद्यालय को निर्धारित निर्धारित प्रपत्र/पेंजिकाओं में रखा जायेगा ।

1(ix) उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की छूट या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनन्तिम प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
सचिव ।

पृ0सं0- 641 I.II/15-7-अनु0नि0/2002

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
2- क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गाजियाबाद ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, गाजियाबाद ।
4- निरीक्षक, आंचल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, आदर्श वरिष्ठ बेसिक बालिका विद्यालय, गाजियाबाद ।
6- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
अनु सचिव ।

Principal
Public School